तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– अपील / एलआर / 5719 /2005/भीलवाड़ा **प्रफुलचन्द बनाम तुलसीदेवी** **2– अपील / एलआर / 5720 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम पंचमसिंह** **3– अपील / एलआर / 5723 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम नवलसिंह**	

एकल–पीठ
डॉ. श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :–
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 18–1–2023

1– यह तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा तीन अलग–अलग प्रकरण संख्या 124/2005, 125/2005, 126/2005 में पारित एक समान निर्णय दिनांक 27–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– इन तीनों अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– तीनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, भीलवाड़ा ने तीन अलग–अलग प्रार्थना–पत्र राजस्थान मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17–अ के तहत दिनांक 25–8–2004 को अपर कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम माधोपुर तहसील भीलवाड़ा में स्थित क्रमशः साबिक आराजी संख्या 8/192, 8/193, 8/194 में 5–5 बीघा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित होकर नामान्तकरण संख्या 10, 11, 12 दिनांक 14–2–1962 के आधार पर 100 रूपये प्रति बीघा नजराने की दर से अपीलार्थी तुलसी, पंचम, व नवल के प्रत्येक के गैर खातेदारी के हक पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया जो बिना किसी सक्षम अधिकारी से निर्णित नहीं होने से राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थीगण के नाम के इन्द्राज को हटाया जावे । विचारण न्यायालय ने तीनों प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार कर अपीलार्थीगण के किए गए आवंटनों को अपने आदेश दिनांक 8–6–2005 से निरस्त कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा तीन अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–7–2005 द्वारा तीनों अपीलों स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 8–6–2005 को निरस्त कर दिया । प्रथम अपीलीय न्यायालय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– अपील / एलआर / 5719 /2005/भीलवाड़ा **प्रफुलचन्द बनाम तुलसीदेवी** **2– अपील / एलआर / 5720 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम पंचमसिंह** **3– अपील / एलआर / 5723 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम नवलसिंह**	
	के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं । 4– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। 5– सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील मीमों के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजस्व वाद चल रहे हैं तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या –2 भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 4–8–2003 द्वारा अप्रार्थिया का वाद खारिज किया तथा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करने की जिला कलेक्टर को पत्र लिखा । विवादित भूमि पर प्रार्थी के पिता सूर्यनारायण काबिज है तथा सन् 1968 के बिकाव से ही अप्रार्थिया का कब्जा काश्त नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार किया है जिसका सीधा प्रभाव प्रार्थी के अधिकारों पर पडा है। अतः प्रार्थी व्यथित पक्षकार है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । उन्होंने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का आदेश नियमों व विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि उनके द्वारा आवंटन की पत्रावली को बिना तलब किए जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जिससे कि उनके कथनों की पुष्टि होती हो । विवादित भूमि पर सूर्यनारायण का कब्जा बिकाव सन् 1968 से चला आ रहा है । अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य आवंटन निरस्तीकरण के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों प्रकरण चले है व आज भी विचाराधीन है, जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत है । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आवंटन की पत्रावली तलब नहीं की न ही उनके समक्ष आवंटन से संबंधित रेकार्ड उपलब्ध था फिर आवंटन की वैधता को सही बताते हुए अपील स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । राज्य सरकार ने भी अपीलाण्ट के कब्जे को नजरअंदाज कर पक्षकार नहीं बनाया न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया क्योंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का कब्जा नहीं था तथा उसके पति ने नाथूसिंह ने भूमि को अपीलाण्ट के पिता को बेचान कर दी जिसके बाबत वाद विचाराधीन है । गलत आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है । राजस्व अपील प्रधिकारी द्वारा आवंटन नियम लघु मध्यम सिंचाई परियोजना 198 के आवंटन नियम में आवंटन को निरस्त करने की कायवाही करना गलत बताया है किन्तु उक्त नियम उस समय प्रभाव में नहीं थे। जबकि उससे पूर्व 1957 के नियम प्रचलित थे एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– अपील / एलआर / 5719 /2005/भीलवाड़ा **प्रफुलचन्द बनाम तुलसीदेवी** **2– अपील / एलआर / 5720 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम पंचमसिंह** **3– अपील / एलआर / 5723 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम नवलसिंह**	
	रिकार्ड उपलब्ध नहीं था इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं थी ।इसके अतिरिक्त अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि आवंटी को नाथूसिंह के परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदार बताया लेकिन प्रमाण प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया जबकि प्रार्थना–पत्र व अपीलों में आवंटी के पति व पति नाथूसिंह दर्ज है जिसे साक्ष्य में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को गलत फायदा पहुॅचाने की दृष्टि से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। इस कारण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है । अतः अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जावे। 6– रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट को सन् 1962 में आवंटित आराजी पर 30 वर्षो से भी पुराना कब्जा है और अपीलाण्ट को मुखालफाना कब्जा प्रमाणित है और उनकी 42 वर्ष बाद बेदखली संभव नहीं है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि बिला नाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिए है जो विधिसम्मत नहीं है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से अपील स्वीकार की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। 7– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया । 8– सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया । उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अनुसार अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहे है । न्यायहित एवं राज्यहित के मध्यनजर धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है । 9– हस्तगत प्रकरण राजस्थान मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1968 के नियम 17–ए से संबंधित है इस संबंध में 17–ए का अवलोकन करना हम उचित समझते हैं – **17A. Cancellation of allotment.** - The Collector of the district shall have the power to cancel any allotment made under these Rules, either suo motu or on the application of any person, in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation, or has been made against the rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1– अपील / एलआर / 5719 /2005/भीलवाड़ा **प्रफुलचन्द बनाम तुलसीदेवी** **2– अपील / एलआर / 5720 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम पंचमसिंह** **3– अपील / एलआर / 5723 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम नवलसिंह**	
	Provided that no such order, to the prejudice of any person, shall be passed without giving such person an opportunity of being heard. तहसीलदार द्वारा उक्त नियम के तहत ग्राम माधोपुर तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी खसरा नंबर 8/192, 8/193, 8/194 रकबा 5–5 बीघा बाबत खोले गए नामान्तरकरण संख्या 10, 11, 13 नियम विरूद्ध होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन की पात्रता नहीं रखने व पूर्व तत्कालीन तहसीलदार नाथूसिंह द्वारा अपने रिश्तेदार के पक्ष में आवंटन के पात्र नहीं होने के बावजूद आवंटन विधि विपरीत होने से आवंटन निरस्त कराने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 25–8–2004 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत कियागया । प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8–6–2005 से रेस्पोडेण्ट का आवंटन निरस्त कर भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिला नाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिए गए । उक्त आदेश में यह माना गया कि रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन सद्भावी आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है । पत्रावली पर भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि जाहिर हो कि रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन विधिसम्मत था एवं आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया का पालना करते हुए किया गया था । पटवारी द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 10,11, 12 द्वारा रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण उपरान्त रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन को निरस्त योग्य मानकर निरस्त किया है जो उनके क्षेत्राधिकारिता में आता है । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपने निर्णय में यह मानते हुए कि तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना–पत्र 40 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया। इतने वर्षो में रेस्पोडेण्ट का मुखालफाना कब्जा परिपक्व मानकर उन पर बेदखली संभव नहीं है। इस संबंध में नियम विरूद्ध आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। मुखालफाने के आधार पर किसी को आवंटन अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र में भी यही अंकित किया है कि रेस्पोडेण्ट आवंटन की पात्रता नहीं रखता एवं उसके द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर आवंटन कराया एवं उसी आधार पर नामान्तरकरण भी स्वीकृत किए गए इस संबंध में इस संबंध में आर.बी.जे. 2006(13) पृष्ठ 749 में यह अभिमत निर्धारित किया है कि– **RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment of Land for agricultural purpose) RULES, 1970 –Rule 14(4)** Cancellation of allotment-When allotment was obtained through fraud, misrepresentation and concealment of fact, can be cancelled at any time even if Khatedari rights have been obtained- In this case, allotment of land was made in the name of Gopal s/o Bhura Jat	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1– अपील / एलआर / 5719 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम तुलसीदेवी** **2– अपील / एलआर / 5720 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम पंचमसिंह** **3– अपील / एलआर / 5723 /2005/भीलवाड़ा** **प्रफुलचन्द बनाम नवलसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	resident of Luniawas. Whereas there was no such person in the village, Further , subsequently mutation was attested in the name of Gopi s/o Bhura Jat. The Sarpanch of the village obtained this benami allotment of land through fraud. The Board of Revenue held that allotment obtained through fraud can be cancelled at any time. उक्त निर्णय के Para 6(8) में यह भी मत व्यक्त किया है कि– "Hon'ble High Court has decided a principle that allotment obtained through fraud, misrepresentation and concealment of fact can be cancelled at any time even if khatedari rights have been obtained. This authority of Hon'ble High Court as reported in RRD 2002 page 01 is directly relevant in this case because this is a clear cut case of fraud and misrepresentation and concealment of facts and surprisingly this fraud is continuing even today and the respondent has failed to give his address even at the level of Board of Revenue." उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट को किए गए आवंटन को पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर अपील स्वीकार निर्णय पारित किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पर अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 114/2003 इन्हीं रेस्पोडेण्ट व अपीलाण्ट के मध्य वाद को साबित नहीं कर पाने से अस्वीकार किया है । उसके बाबजूद भी अपीलीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से आवंटन खारिज कर कर विवादित भूमि बिला नाम सरकार दर्ज रिकार्ड की है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। 10– उक्त विवेचन के फलस्वरूप ये तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 27–7–2005 निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 8–6–2005 यथावत रखा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ. श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>1– अपील / एलआर / 5719 /2005/भीलवाड़ा</u> **प्रफुलचन्द बनाम तुलसीदेवी** **<u>2– अपील / एलआर / 5720 /2005/भीलवाड़ा</u>** **प्रफुलचन्द बनाम पंचमसिंह** **<u>3– अपील / एलआर / 5723 /2005/भीलवाड़ा</u>** **प्रफुलचन्द बनाम नवलसिंह**	